भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2257

उत्तर देने की तारीख: 23.03.2022

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में प्रवेश में आरक्षण

2257 # चौधरी सुखराम सिंह यादव:
श्रीमती छाया वर्मा:
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में प्रवेश में पेड सीट पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) क्या सरकार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में पेड सीट, रेगुलर सीट और सेल्फ फाइनांसड की कुल सीटों पर अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को क्रमश: 27 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने पर विचार करेगी?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और यह संसद पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

*****